



कार्यालय कलेक्टर जिला-सुकमा (छ.ग.)

//ज्ञापन//

क्रमांक/१०६/भू-अर्जन/2016-17
प्रति,

सुकमा, दिनांक ०१.०८.२०१६

उपसंचालक,
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव
छ0ग0

विषय :- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उप धारा (1) की अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में करने के संबंध में ।

--00--

कार्यपालन अभियंता, जलसंसाधन संभाग सुकमा के द्वारा ग्राम गादीरास की 12.491 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं । जिला सुकमा की ग्राम गादीरास प.ह.नं. 04 में मलेंजर व्यपवर्तन योजना के मुख्यनहर निर्माण हेतु उपरोक्त भूमि का भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत भू-अर्जन की कार्यवाही की जा रही है ।

- 1) उपरोक्त मलेंजर व्यपवर्तन योजना के मुख्यनहर निर्माण हेतु चाहिये ।
- 2) प्रस्तावित भूमि पर कोई मंदिर, मस्जिद, मकबरा, सार्वजनिक भवन अथवा प्राचीन महत्व की संरचना नहीं हैं ।
- 3) प्रस्तावित भूमि में कृषि भूमि एवं भाटा/पड़त भूमि सम्मिलित है ।
- 4) मुआवजे के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु बजट में पर्याप्त राशि उपलब्ध हैं ।
- 5) इस भू-अर्जन से आम जनता के निस्तार में कोई असुविधा नहीं होगी ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार अधिसूचना राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन करवाने का कष्ट करें ।

संलग्न :- 01 प्रतियां अधिसूचना

कलेक्टर

जिला सुकमा (छ.ग.)

**कार्यालय कलेक्टर, जिला - सुकमा एवं पदेन उपसचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

अधिसूचना

क्रमांक / 906/01/अ-82/2015-16,

सुकमा, दिनांक 27/07/2016

09/08/2016

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की मलेन्जर व्यपवर्तन सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन-

1. जिला - सुकमा
2. तहसील - सुकमा
3. ग्राम - गादीरास
4. भूमि का क्षेत्रफल 12.491 हे.

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम	खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
1	2	3	4
1	ओयामी सोमड़ी बेवा दुला	1993/1	0.060
2	टांगरू पिता सोमारू	1981/2	0.090
3	सुकमन पिता सोमारू	1980/2	0.480
4	नागुल गंगी बेवा कुंटी	1979	0.110
	---"---	3261/5	0.050
5	ओयामी मासा पिता काया	3325/1	0.410
	---"---	3325/3 क	0.280
6	ओयामी गंगी बेवा मंगर	3325/2	0.230
7	पोटला बोज्जा पिता रूपा पोटला	1978	0.032
8	ओयामी हुंगी बेवा कोसा ओयामी	3324	0.480
9	नागुल चप्पा पिता एण्डो	3321/4	0.150
	---"---	3261/4	0.042
10	नागुल पांडू पिता साधु	3321/5	0.050
	---"---	3261/1	0.080
11	पो. सुरजबती पति गंगलू	3320/1 क	0.210
	---"---	3320/3	0.135
	---"---	3060/2	0.140
	---"---	3270/2	0.140
	---"---	3273/2	0.130

12	पोटला पेंटा पिता गंगलू	3320/2	0.540
	-----"	3360/1	0.165
	-----"	3273/1	0.080
	-----"	3370/1	0.250
13	पो. ऐमेल पिता रामा	3274	0.240
14	पो. रावल राव पिता बोज्जा	3361	0.090
15	पो. गंगलू पिता रामा	3362	0.393
16	आयतू पिता परदेशी	3363	0.295
	-----"	3365	0.325
	-----"	3364	0.030
17	महादेव पिता बिरा	3366	0.085
18	सुदरू पिता बोटीराम	3375/2	0.120
19	चिता बेवा बोटीराम	3375/1 क	0.325
	-----"	3283/1	0.136
20	लखमू पिता उड़कुड़ी	3289/1	0.092
21	ओ. बागी बेवा धुरवा	3284/1	0.285
22	हरिपाल सिंह पिता केशव सिंह	3282	0.120
	-----"	3281	0.060
23	घेनवा पिता सोमारु	3269/2	0.125
24	नागुल कालीसिंह पिता जयसिंह	3261/2	0.090
25	नागुल कन्नी बेवा गंगलू	3261/3	0.075
26	कोडी पखरैया पिता बोज्जा	3260/1	0.010
	-----"	3414/13	0.020
27	कोडी कन्ना पिता गंगलू	3260/2	0.020
28	माड़वी भीमा पिता हिरमा	3262/2	0.202
29	कोडी जगन्नाथ पिता गंगलू	3414/6	0.080
30	कोडी पाण्डू पिता बोज्जा	3414/9	0.060
31	कोडी लक्ष्मण पिता कन्ना	3414/10	0.060
32	कोडी सोनी बेवा जोगा	3414/11	0.050
	-----"	3414/12	0.020
33	माड़वी सोमडा पिता हान्दा	3417/1 ग	0.101
	-----"	3417/1 घ	0.050
	-----"	3419	0.085
34	माड़वी भीमें बेवा हिरमा	3417/1 क	0.300
	-----"	3417/1 ख	0.100
	-----"	3420/1	0.110
35	पदामी सोमें बेवा छोटे गंगा	3423	0.340
36	पदामी हिमें बेवा गंगा	3424	0.012
		3425/1	0.270
37	पदामी नन्दे पति लखमा	3425/2	0.070
38	पदामी गुज्जा पिता गंगा	3425/3	0.080
39	दुधी जोगा पिता मुया	3470/2	0.190
	-----"	3465/2 क	0.125
40	दुधी भीमा पिता पाण्डू	3470/3	0.300
	-----"	3447/3	0.102
41	पदामी मासे बेवा पोज्जा	3467/1	0.760

42	पोज्जे बेवा मासा	3463/1	0.096
43	माडवी गंगा पिता हान्दा	3463/2	0.160
	-----'''-----	3464	0.320
	-----'''-----	3454/2	0.140
44	दुधी गंगा पिता मुया	3460/1	0.096
45	दुधी रामा पिता कोसा	3460/2	0.008
46	दुधी जोगा पिता हडमा	3456	0.134
	-----'''-----	3455/1	0.060
	-----'''-----	3453	0.060
	-----'''-----	3450	0.180
	-----'''-----	3470/1	0.030
47	माडवी हडमा पिता मासा	3454/1	0.278
48	दुधी सुकड़ी बेवा हडमा	3455/3	0.080
49	बैसाखू पिता बुधू	1992/1	0.020
50	नरेन्द्र पिता रूपा	1991/2 क	0.092
	योग:-	80	12.491

- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी,(राजस्व) सुकमा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार



(नीरज कुमार बनसोड़)
कलेक्टर,

जिला - सुकमा

एवं पदेन उपसचिव छ.ग. शासन
राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 अगस्त 2016—श्रावण 28, शक 1938

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4)
राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं,
(7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय
सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के
प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1)
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के
अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्वारा आलोक अवस्थी, भा.प्र.से. (2002) प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास
बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. माटी कला बोर्ड, रायपुर को केवल प्रबंध संचालक, छ.ग. माटी कला बोर्ड, रायपुर के कार्यभार से मुक्त करता
है. शेष प्रभार यथावत रहेंगे.

(1)	(2)
520/1	1.327
157/29	0.178
161/4	0.405
4/48	0.928
161/106	0.101
520/2	0.494
157/39	0.121
161/6	0.101
4/117	0.324
4/26	0.323
524	0.141
157/55	0.283
523/1	0.125
4/115	0.534
161/3	3.246
513	0.129
4/107	0.364
157/56	0.235
योग	20.274

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरनई परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़
एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 8 अगस्त 2016

प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2014-15. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-भगवानपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.101 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

16/2

0.101

योग

1

0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत मुख्य नहर हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंतरमेल मंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सुकमा, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्रमांक/906/01/अ-82/2015-16. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-सुकमा
(ख) तहसील-सुकमा
(ग) नगर/ग्राम-गादीरास
(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.491 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)		
		3414/9	0.060
		3414/10	0.060
1993/1	0.060	3414/11	0.050
1981/2	0.090	3414/12	0.020
1980/2	0.480	3417/1 ग	0.101
1979	0.110	3417/1 घ	0.050
3261/5	0.050	3419	0.085
3325/1	0.410	3417/1 क	0.300
3325/3 क	0.280	3417/1 ख	0.100
3325/2	0.230	3420/1	0.110
1978	0.032	3423	0.340
3324	0.480	3424	0.012
3321/4	0.150	3425/1	0.270
3261/4	0.042	3425/2	0.070
3321/5	0.050	3425/3	0.080
3261/1	0.080	3470/2	0.190
3320/1 क	0.210	3465/2 क	0.125
3320/3	0.135	3470/3	0.300
3060/2	0.140	3447/3	0.102
3270/2	0.140	3467/1	0.760
3273/2	0.130	3463/1	0.096
3320/2	0.540	3463/2	0.160
3360/1	0.165	3464	0.320
3273/1	0.080	3454/2	0.140
3370/1	0.250	3460/1	0.096
3274	0.240	3460/2	0.008
3361	0.090	3456	0.134
3362	0.393	3455/1	0.060
3363	0.295	3453	0.060
3365	0.325	3450	0.180
3364	0.030	3470/1	0.030
3366	0.085	3454/1	0.278
3375/2	0.120	3455/3	0.080
3375/1 क	0.325	1992/1	0.020
3283/1	0.136	1991/2 क	0.092
3289/1	0.092		
3284/1	0.285		
3282	0.120		
3281	0.060		
3269/2	0.125		
3261/2	0.090		
3261/3	0.075		
3260/1	0.010		
3414/13	0.020		
3260/2	0.020		
3262/2	0.202		
3414/6	0.080		
		योग	
		80	12.491

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मलेन्जर
व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व), सुकमा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार बनसोड़, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.